

विधान सभा सत्र अगस्त 2021
तारांकित प्रश्न क्रमांक 237


परिशिष्ट "अ"

घटना क्रम में थाना ओमती, जबलपुर में अपराध क्रमांक 252/2021 धारा 274,275,308, 420, 12बी, 34 भादवि, धारा 53 आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं धारा 3 महामारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। विवेचना में आये साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 467, 468, 471 भादवि, धारा 5/13 ड्रग कंट्रोलर अधिनियम एवं धारा 67 आई.टी. एक्ट का इजाफा किया गया है। प्रकरण में निम्नानुसार 11 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है।

1. देवेश चौरसिया पिता दिलीप चौरसिया
2. सोनिया शुक्ल पति सिद्धार्थ शुक्ल
3. जसमीत कौर पति सरबजीत सिंह मोखा
4. राकेश शर्मा पिता रामनाथ शर्मा
5. हरकरण सिंह मोखा पिता सरबजीत सिंह मोखा
6. सरबजीत सिंह मोखा पिता मनजीत सिंह मोखा
7. कौशल बोरा पिता महेन्द्र सिंह बोरा
8. पुनीत शाह पिता गुणवंत लाल शाह
9. सपन जैन पिता सुरैन जैन
10. सुनील कुमार मिश्रा पिता रविन्द्र मिश्रा
11. नागुजी उर्फ नागेश पिता नामदेव मोरे

सभी आरोपीगण की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी क्रमांक-1 देवेश चौरसिया पिता दिलीप चौरसिया एवं आरोपी क्रमांक-6 सरबजीत सिंह मोखा पिता मनजीत सिंह मोखा के विरुद्ध रासुका (N.S.A.) की कार्यवाही की गई है।


मनुभाग अधिष्ठाता
मध्य प्रदेश राज्य
ए (पुवि) विभाग, 11
बिलासपुर, बिहार


27.7.21
AIG of Police
CID. M.P., BHOPAL